पत्रांक :– 14/स्थानीयता नीति–14–02/2010 का0 6353 (14)

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

दिवाकर प्रसाद सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी
सभी उपायुक्त
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 16/07/2015

विषय :– स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण–पत्र के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्र सं0–4156 दिनांक–17.07.2002 द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का निदेश निर्गत है, जिसमें प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी अधिकृत पदाधिकारी घोषित है। (प्रति संलग्न)

जाति प्रमाण पत्र के मामले में निर्गत विभागीय पत्र सं0–7072 दिनांक–30.12.2003, 3540 दिनांक–03.07.2004, 3376 दिनांक–05.06.2008 एवं 6689 दिनांक 24.07.2011 से स्पष्ट होगा कि नौकरी एवं प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अनुमंडल पदाधिकारी से न्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। (सभी अनुदेशों की एक–एक प्रति संलग्न है।)

अनुरोध है कि नौकरी एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा (21 कार्य दिवस) के अन्दर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 14/स्थानीयता नीति–14–02/2010 का0 6353 (14) राँची, दिनांक 16/07/2015

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति सहित परीक्षा नियंत्रक झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम– तुपुदाना रोड नामकुम, राँची– 834023 को उनके पत्र सं0–447 दिनांक–10.07.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

M.S/ date- 38.14